-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल वाले अभियुक्त को थाना बबेरु पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के दौरान एक युवक द्वारा अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटों वायरल करने के पोस्ट प्रकाश में आए थे। प्रकरण में अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना बबेरु पुलिस द्वारा अभियुक्त की पहचान सुनील कुमार सविता पुत्र रामगोविन्द नि0 बेर्राव थाना बबेरु के रुप में की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.09.2025 को सतन्याव मोड़ गेट के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील कुमार सविता पुत्र रामगोविन्द नि0 बेर्राव थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 394/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. कां0 आनंद तिवारी
3. कां0 अनूप कुमार